338/15

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 011

संख्या आरटीआई/1747-1786/2015-पीएमआर

दिनांकः 09/02/ 2015

2829/FS/15
12/02/15

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

डायरी संख्या
Dy. No. 1027 /RTI Sec./2015
दिनांक/Date 17/02/2015

उपर्युक्त विषय पर श्री रमेशचंद्र जोशी से प्राप्त दिनांक 29.1.2015 का आवेदन-पत्र(358/15 -393 और 396 - 399)(40 पत्र), जो इस कार्यालय में दिनांक 4.2.2015 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

(पी०के० शर्मा)
अवर सचिव एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
☎: 2338 2590

विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय
साउथ ब्लाक, नई दिल्ली

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री रमेशचंद्र जोशी
विष्णुधाम मंदिर
साईधाम मंदिर, ठाकुर कामप्लेक्स
वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, कांदिवली(पूर्व)
मंबई - 400 101

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरांक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें।

~~DCP(C)~~
~~US(CURS)~~

DCP(P)
US(China)

16/2

16/2

13/2

US(RTI)

1756 — 6/2/15

सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के अंतर्गत सूचना पाने के लिए

आवेदन पत्र क्रमांक 384 /२०१५ दिनांक 29.1.15

1756/15

सेवा में,
मा. केंद्रिय लोक सूचना अधिकारी,
मा.प्रधानमंत्री महोदय का कार्यालय,
१५२, साऊथ ब्लॉक, रायसिन्हा हिल्स,
नई दिल्ली - ११० ०११

27 FEB 2015

१)	आवेदक का पूरा नाम	:	**श्री रमेशचंद्र जोशी** **अध्यक्ष , धर्म रक्षक महामंच** **अध्यक्ष, राष्ट्र रक्षक जनमंच**
२)	पत्ता	:	श्री विष्णूधाम मंदिर, ठाकूर कॉम्पलेक्स, साईधाम रोड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कांदिवली पूर्व, मुंबई ४०० १०१
३)	अपेक्षित सूचना का विवरण	:	मा. प्रधानमंत्री कार्यालय ने हमें भेजा पत्र संख्या आरटीआई/ १०२८२/ २०१४/ पीएमआर दि.२३/९/२०१४ लेकिन हमें मुंबई में दिनाक ३०/०१/२०१५ को मिले पत्र के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह ने दिनांक १३/०१/२००८ से दिनांक १५/०१/२००८ तक China का दौरा क्यूं किया था ? दौरे में उनके साथ और कौन-कौन शामील थे ? इस दौरे के कारण भारत को क्या फायदा हुआ था? और इस दौरे के कारण भारत सरकार ने जो रुपए ६,८०,३६,०००.०० चुकाए है, वह रुपए किस-किस को चुकाया है ? और कौनसे स्वरुप में चुकाए है ? इससे संबंधित सुचना यदि भारत सरकार के पास हो, तो कृपया यह सभी सुचना हमें हिंदी भाषा में भेजने की कृपा करें ।
क)	संबध विभाग	:	इस आवेदन पत्र के द्वारा हमने जो सूचना माँगी है वह सूचना जिस किसी भी विभाग में हो वह विभाग
(i)	अपेक्षित सूचना का विस्तृत विवरण	:	उपरोक्त क्रमांक ३ के अनुसार
(ii)	अवधि जिसके लिये सुचना अपेक्षित है	:	उपलब्ध अभिलेख के अनुसार
(iii)	अन्य विवरण	:	हमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होने के कारण भारतीय संविधान के अनुसार कृपया हमसे केवल राष्ट्रीय हिंदी भाषा में पत्राचार करने की कृपा करें। एवंम् पत्राचार में हमारे आवेदन का उपरोक्त क्रमांक एवंम् दिनांक का उल्लेख जरूर करने की कृपा करें।
४	मै कथन करता हूं कि अपेक्षित सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ की धारा ८ के आधीन प्रकटीत कीये जाने से प्रतिबन्धित नही है और मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार यह आपके कार्यालय से सम्बन्धित है। यह आवेदन पत्र के साथ नियमो के अनुसार भारतीय पोस्टल ऑर्डर भेजे है। यह आवेदन पत्र हमने आपको मुंबई से स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजा है। हमारा मोबाईल नंबर - 09870019990, 09821424410, 09987523450		

URGENT
Diary 28131
& Date 04/02/15
Last Date 06/02/15
For Disposal

भारत का संविधान 1950 के अनुच्छेद 51 A. (A To K) के अनुसार भारत का नागरिक के नाते हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं क्योंकि हमें भारत प्यारा है

(रमेशचंद्र जोशी)
आवेदक

IPO No - 10F 845526 ₹ 10/-
4.13 8285

विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
NEW DELHI

सत्यमेव जयते

पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा

सूचना का अधिकार मामला

समयबद्ध

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
(चीन प्रभाग)

सं. ई/551/09/2015-आरटीआई 16.03.2015

सेवा में

श्री रमेशचन्द्र जोशी
विष्णुधाम मंदिर
साईधाम मंदिर, ठाकुर कॉम्प्लेक्स
वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पूर्व)
मुंबई - 400 101

विषयः सूचना का अधिनियम, 2005 के अंतर्गत माँगी गई सूचना।

महोदय,

कृपया प्रधानमंत्री कार्यालय को संबोधित दिनांक 29.1.2015 के अपने आरटीआई आवेदन का अवलोकन करें जिसे 07.02.2015 को आरटीआई प्रकोष्ठ, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया गया था।

2. चीन के संदर्भ में आपके प्रश्न का उत्तर निम्नानुसार हैः-

वो जानकारी संकलित करके इस पत्र के साथ जोड़ दी गयी है

3. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो आप इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर श्री सुजीत घोष, निर्देशक (पूर्व एशिया) एवं अपीलीय प्राधिकारी, विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली – 110011 को अपील दायर कर सकते हैं।

भवदीय,

Aniket G. Mandavgane

(अनिकेत गोविंद मांडवगणे), आईएफएस
अवर-सचिव (चीन), एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. श्रीमती मीरा सिसोदिया, अवर सचिव (आरटीआई), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री द्वारा अपनी चीन यात्रा के दौरान सीसीपीआईटी समारोह में आगंतुक पुस्तिका के लिए अभिलेख

जनवरी 14, 2008

भारत – चीन व्यापार और आर्थिक संबंधों में गतिशील वृद्धि दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रही है। चीन के एक अग्रणी व्यापार संगठन के रूप में सीसीपीआईटी ने इन संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि सीसीपीआईटी भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करेगा तथा दोनों देशों के व्यापार और उद्योग के बीच अधिकाधिक आदान – प्रदान में मदद देगा।

प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित दस्तावेज

जनवरी 14, 2008

1. **21वीं सदी के लिए भारत गणराज्य और चीन जनवादी गणराज्य की साझा संकल्पना**
2. **भारत के योजना आयोग और चीन जनवादी गणराज्य के राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन**

   यह समझौता ज्ञापन, दोनों देशों के योजना निकायों के बीच सहयोग का प्रावधान करता है जिनमें मैक्रोइकोनॉमिक प्रबंधन, अर्थव्यवस्था का प्रचालन और मध्यम एवं दीर्घकालिक विकास योजना के क्षेत्र में सूचना के आदान – प्रदान और परामर्श को मजबूत बनाना शामिल है। दोनों पक्ष साझा हित के महत्वपूर्ण विषयों पर आवश्यकता के अनुसार बारी – बारी से एक दूसरे देश में उप मंत्री (सचिव) स्तरीय वार्ता के आयोजन पर सहमत हुए हैं।
3. **भारत के रेल मंत्रालय और चीन जनवादी गणराज्य के रेल मंत्रालय के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन**

   यह समझौता ज्ञापन, रेलवे से संबंधित मामलों में सहयोग बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसमें नीतियों से संबंधित सूचना का आदान – प्रदान, नियमों और विनियमों, विशेषज्ञों और प्रशिक्षुओं के लिए आदान – प्रदान कार्यक्रम तथा साझा हित के विषयों पर विचार – गोष्ठियों, संगोष्ठियों और सम्मेलनों के संयुक्त आयोजन जैसे क्रियाकलापों का प्रावधान है। सहयोग के विशेष क्षेत्रों में दूर संचार प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन आपूर्ति, संकेत व्यवस्था की विश्वसनीयता, उच्च धुरी भार प्रचालन, रेल क्षेत्र, ट्रैक मशीनों आदि से संबंधित अनुसंधान और विकास में सहयोग शामिल है।
4. **भारत के आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय और चीन जनवादी गणराज्य के निर्माण मंत्रालय के लिए समझौता ज्ञापन**

   यह समझौता ज्ञापन, आवासीय क्षेत्र में सहयोग के लिए एक आधारभूत रूपरेखा प्रदान करता है। इस समझौता ज्ञापन का समग्र उद्देश्य, दोनों देशों के बीच आवास नीतियों, मानक और विनिर्देशों और प्रौद्योगिकी से संबंधित सूचना के आदान – प्रदान को बढ़ावा देना तथा आवासीय निर्माण का स्तर बढ़ाने विशेषत: मध्यम और निम्न आय वाले परिवारों के लिए आवास के स्तर बढ़ाने के लिए सहयोग बढ़ाना है। यह समझौता ज्ञापन शहरी गरीबी उपशमन प्रयासों के क्षेत्र में सहयोग और संचार को बढ़ावा देता है।
5. **भारत गणराज्य के ग्रामीण विकास मंत्रालय और चीन जनवादी गणराज्य के भूमि संसाधन मंत्रालय के बीच भूमि संसाधन प्रबंधन, भूमि प्रशासन और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन**

   यह समझौता ज्ञापन भूमि संसाधनों के विकास, संरक्षण, प्रबंधन और उपयोग, भूमि सूचना प्रबंधन और भूमि रिकार्ड के उन्नयन; भूमि रजिस्ट्रेशन, सांख्यिकी, मूल्यांकन, भूमि सर्वेक्षण तथा इन क्षेत्रों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग; भूमि प्रयोग योजना; भूमि बाजारों, भूमि वितरण और संबंधित नियमों एवं विनियमों
   भूमि अधिग्रहण तथा औद्योगिकीकरण एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना के साथ – साथ साझा हित के क्षेत्रों में सहयोग का प्रावधान करता है।
6. **भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों के साथ मैत्री के लिए चाइनीज पीपुल्स एसोसिएशन के बीच भारत – चीन संयुक्त चिकित्सा मिशन के संबंध में समझौता ज्ञापन**

   भारतीय चिकित्सा मिशन के चीन में आगमन की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह समझौता ज्ञापन, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों के साथ मैत्री के लिए चाइनीज पीपुल्स एसोसिएशन को भारत – चीन संयुक्त चिकित्सा मिशन के आयोजन में सहयोग करेगा।
   इसमें भारत और चीन के 10 – 10 युवा चिकित्सक शामिल होंगे जो सन् 2008 में संयुक्त रूप से भारत और चीन दोनों देशों में चिकित्सा परामर्श/उपचार प्रदान करेंगे।
7. **भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों के साथ मैत्री के लिए चाइनीज पीपुल्स एसोसिएशन के बीच सांस्कृतिक सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन**

   इस समझौता ज्ञापन से भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों के साथ मैत्री के लिए चाइनीज पीपुल्स एसोसिएशन, दोनों देशों के लोगों के बीच बढ़ते सांस्कृतिक संबंधों में गतिशीलता लाने के लिए फिल्म और अभिनय कला, प्रदर्शनी, प्रकाशन, संगोष्ठियों आदि के

साथ – साथ विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग कर सकेंगे ।

8. **भू - विज्ञान में सहयोग के लिए भारतीय भू – वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और चीन भू – वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के बीच समझौता ज्ञापन**

दोनों पक्ष, एशिया महाद्वीप में पुरा – जलवायु और पुरा पर्यावरणीय परिवर्तनों, उद्गम स्थल के लक्षण – वर्णन हेतु भारतीय कोंडलाइट्स के तिथि निर्धारण और खनिजों के पूर्वानुमान से संबंधित प्रौद्योगिकी के आदान – प्रदान के साथ – साथ इन क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास परियोजनाएं चलाने में पारस्परिक सहयोग प्रदान करने पर सहमत हुए हैं ।

9. **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष विभाग तथा पारंपरिक चीनी औषधि के राज्य प्रशासन के बीच पारंपरिक औषधि में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन**

यह समझौता ज्ञापन, परंपरागत औषधि में सहयोग को बढ़ावा प्रदान करता है । इसमें चिकित्सा सेवाएं, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे क्षेत्र शामिल हैं तथा यह दोनों देशों की स्वास्थ्य व्यवस्था में परंपरागत औषधियों के विकास को बढ़ावा देता है । दोनों पक्ष, अभिनिर्धारित विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक संस्थाओं में परंपरागत औषधि में सहयोगी अनुसंधान अध्ययन करने के लिए सहायता प्रदान करेंगे जिसमें परंपरागत औषधियों के उपयोग, सुरक्षा और क्षमता संबंधी अनुसंधान तथा भारत और चीन में भेषजीय मानकों को समरूप बनाना शामिल है ।

10. **नाबार्ड और चीन के कृषि विकास बैंक के बीच पारस्परिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन**

नाबार्ड और चीन के कृषि विकास बैंक के बीच यह समझौता ज्ञापन, चीन और भारत दोनों देशों में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के स्थायी विकास में सहयोग करेगा । दोनों पक्ष कारोबार के अनुभव, विशेषज्ञता, प्रशिक्षण सुविधाओं, आधुनिक प्रौद्योगिकी दक्षता और व्यापार विकास प्रणाली से संबंधित सूचनाओं के आदान – प्रदान पर सहमत हुए हैं । नाबार्ड और चीन का कृषि विकास बैंक बैंकिंग लिखतों में नवीकरण, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग तथा किसानों के लिए संभावित जोखिम प्रबंधन उपकरणों से संबंधित जानकारी के आदान – प्रदान तथा ग्रामीण वित्त एवं कृषि विकास रणनीति और प्रचालन पद्धतियों जैसे क्षेत्रों में अनुभव के आदान – प्रदान पर भी सहमत हुए हैं ।

11. **चीन जनवादी गणराज्य के गुणता पर्यवेक्षण, निरीक्षण और संगरोध के सामान्य प्रशासन और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के बीच भारत से चीन के लिए तंबाकू पत्तियों के निर्यात हेतु पादप स्वास्थ्य अपेक्षा संबंधी प्रोटोकॉल,**

दोनों पक्ष, भारत से चीन के लिए तंबाकू पत्तियों के निर्यात के लिए पादप स्वास्थ्य अपेक्षा संबंधी प्रोटोकॉल पर सहमत हुए ।

प्रधानमंत्री द्वारा बीजिंग ओलम्पिक स्थल पर आगंतुक पुस्तिका के लिए अभिलेख

जनवरी 13, 2008

मैं, भारत सरकार और भारत की जनता की ओर से बीजिंग में ओलम्पिक खेलों की सफलता की शुभकामनाएं देता हूं । मैं उम्मीद करता हूं कि ओलम्पिक की भावना और इस महान शहर बीजिंग का पारंपरिक आतिथ्य और सहृदयता, खेलों में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों और उनके देशों के बीच मैत्री, शांति और समझ-बूझ को बढ़ावा देगी ।

भारत गणतंत्र और चीन जनवादी गणतंत्र का 21वीं शताब्दी के लिए साझा दृष्टिकोण

जनवरी 14, 2008

14 जनवरी 2008 को बीजिंग में अपनी बैठक के दौरान भारत गणतंत्र के प्रधानमंत्री महामहिम डा. मनमोहन सिंह और चीन जनवादी गणतंत्र की राज्य परिषद के प्रधानमंत्री महामहिम श्री वेन जिआबाओ ने दोनों देशों के बीच शांति एवं समृद्धि के लिए सामरिक और सहयोगात्मक साझेदारी विकसित करके स्थाई शांति और साझी समृद्धि वाले सामंजस्यपूर्ण विश्व के विकास को बढ़ावा देने का संकल्प व्यक्त किया।

भारत और चीन (यहां इसके बाद "दोनों पक्ष" के रूप में उल्लेख किया गया है) पृथ्वी पर दो सबसे बड़े विकासशील राष्ट्र हैं

जो एक तिहाई से अधिक मानव जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं कि दोनों देशों का व्यापक, संतुलित और स्थायी आर्थिक एवं सामाजिक विकास सुनिश्चित करने तथा एशिया के साथ-साथ संपूर्ण विश्व में शांति और विकास को बढ़ावा देने में भारत और चीन दोनों की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जिम्मेदारी है।

दोनों पक्षों का विश्वास है कि यह समानता पर आधारित मैत्री एवं विश्वास का संबंध निर्मित करने में भविष्य की तरफ देखने का समय है जिसमें दोनों देश एक दूसरे के सरोकारों और आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील हैं। दोनों पक्षों ने दोहराया कि भारत - चीन संबंध और सामान्य विकास का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य पर सकारात्मक असर पड़ेगा।

भारत - चीन संबंधों के निशाने पर कोई देश नहीं है, और न ही यह दूसरे देशों के साथ उनकी मैत्री को प्रभावित करेगा।

दोनों पक्षों का इस बात में विश्वास है कि नई शताब्दी में पंचशील यानी शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांत सभी देशों के बीच अच्छे संबंधों के लिए और मानव जाति की शांति एवं प्रगति को साकार करने हेतु स्थितियां सृजित करने के लिए बुनियादी मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। इन सिद्धांतों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था निष्पक्ष, तर्कसंगत, साम्यपूर्ण एवं परस्पर लाभप्रद होगी, टिकाऊ शांति एवं साझी समृद्धि को बढ़ावा देगी, समान अवसरों का सृजन करेगी और गरीबी एवं भेदभाव का उन्मूलन करेगी।

दोनों पक्षों की यह राय है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास का अपना पथ चुनने संबंधी प्रत्येक देश के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए जिसमें मौलिक मानवाधिकारों और कानून के शासन को उनका उचित स्थान दिया जाता है। विविधता के प्रति सहिष्णुता और सम्मान पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था शांति को बढ़ावा देगी और बल के प्रयोग, अथवा प्रयोग की धमकी को कम करेगी। दोनों पक्ष खुली और समावेशी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के पक्ष में हैं तथा विश्वास करते हैं कि विचारधाराओं और मूल्यों पर आधारित रूपरेखा, अथवा भौगोलिक कसौटी पर आधारित रूपरेखा शांति पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व के अनुकूल नहीं है।

दोनों पक्षों का विश्वास है कि नई शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निरंतर लोकतंत्रीकरण और बहुपक्षवाद महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने में संयुक्त राष्ट्र संघ की केंद्रीय भूमिका को स्वीकार किया जाना चाहिए तथा इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापक सुधार का समर्थन करते हैं जिसमें सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व देने को प्राथमिकता देना शामिल है। भारतीय पक्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता संबंधी अपनी आकांक्षा को दोहराता है।

चीनी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रमुख विकासशील देश के रूप में भारत के दृष्टिकोण को काफी महत्व देता है। चीनी पक्ष सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र में बृहत्तर भूमिका निभाने संबंधी भारत की आकांक्षाओं को समझता है तथा उसका समर्थन करता है।

दोनों पक्ष क्षेत्रीय एकीकरण की प्रक्रियाओं का समर्थन करते हैं तथा उन्हें प्रोत्साहित करते हैं जो उभरती अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विकास के लिए परस्पर लाभप्रद अवसर उपलब्ध कराती है। दोनों पक्ष क्षेत्रीय प्रक्रियाओं में एक दूसरे की भागीदारी को सकारात्मक रूप में लेते हैं

तथा साथ मिलकर एवं अन्य देशों के साथ एशिया में घनिष्ठ क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक नए वास्तुशिल्प का पता लगाने के लिए, तथा एशिया के और अधिक क्षेत्रीय एकीकरण हेतु संयुक्त प्रयास करने के लिए पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन सहित क्षेत्रीय सहयोग तंत्रों के भीतर अपना समन्वय और परामर्श सुदृढ़ करने पर सहमत हैं। दोनों पक्ष एशिया - यूरोप बैठक की रूपरेखा के अंतर्गत अपने समन्वय को सुदृढ़ करेंगे, और एशिया - यूरोप व्यापक साझेदारी को सुदृढ़ और प्रगाढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

दोनों पक्ष दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल तथा संघाई सहयोग संगठन सहित समान विचारधारा वाले देशों के बीच उप क्षेत्रीय बहु-पक्षीय सहयोग प्रक्रियाओं में एक दूसरे की भागीदारी के संबंध में सकारात्मक रवैया अपनाते हैं। दोनों पक्षों का मानना है कि यह दोनों देशों में से किसी भी देश के दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सहयोग को प्रभावित नहीं करता है।

दोनों पक्ष आर्थिक भूमंडलीकरण के सकारात्मक आयामों का स्वागत करते हैं, और इसकी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं, और संतुलित एवं परस्पर लाभप्रद आर्थिक भूमंडलीकरण की दिशा में दूसरे देशों के साथ काम करेंगे।

दोनों पक्षों का विश्वास है कि खुली, निष्पक्ष, साम्यपूर्ण, पारदर्शी और नियमों पर आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली सभी देशों की आम आकांक्षा है। दोनों पक्ष दोहा विकास दौर के जल्दी समापन के पक्ष में हैं जिससे ऐसे मुद्दों को उठाया जा सके जो सबसे निर्धनतम को प्रभावित करते हैं। दोनों पक्ष अपने साझे उद्देश्यों को प्राप्त करने के निमित्त अन्य विकासशील देशों के साथ अपना समन्वय सुदृढ़ करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं।

दोनों पक्षों का विश्वास है कि एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा व्यवस्था स्थापित करना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित में है

जो निष्पक्ष, साम्यपूर्ण, सुरक्षित एवं टिकाऊ हो, तथा समूचे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए लाभकारी हो। दोनों पक्ष वैश्विक ऊर्जा मिश्रण को विविधतापूर्ण बनाने और स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा का अनुपात बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रयास करने हेतु प्रतिबद्ध हैं ताकि सभी देशों की ऊर्जा संबंधी आवश्कताओं को पूरा किया जा सके।

दोनों पक्ष अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर (आईटीईआर) परियोजना में साथ मिलकर काम करने के लिए अपने उत्कृष्ट वैज्ञानिकों के लिए उपलब्ध अवसर का स्वागत करते हैं, जो पर्यावरणीय दृष्टि से पोषणक्षम ढंग से वैश्विक ऊर्जा चुनौती का सामना करने में काफी क्षमतावान है।

उन्नत वैज्ञानिक सक्षमताओं वाले दो देशों के रूप में दोनों पक्ष असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने का वादा करते हैं जो उनकी अपनी-अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप होगा, जो ऊर्जा सुरक्षा में और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों से निबटने में योगदान देगा।

दोनों पक्ष इस चुनौती को स्वीकार करते हैं कि जलवायु परिवर्तन से मानव जाति के लिए खतरा है। दोनों पक्ष जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को गंभीरता से लेते हैं तथा जलवायु परिवर्तन से निबटने से संबंधित प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ शामिल होने की अपनी तत्परता को दोहराते हैं। दोनों पक्ष दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकीय सहयोग बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं।

दोनों पक्ष दिसंबर 2007 में बाली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संबंधी रूपरेखा अभिसमय (यूएनएफसीसीसी) के उद्भव का स्वागत करते हैं तथा अभिसमय के तहत दीर्घकालीन सहयोगात्मक कार्रवाई के लिए बाली रोड मैप में विहित वार्ता प्रक्रिया के दौरान निकटता से काम करने के लिए सहमत हैं। दोनों पक्ष यूएनएफसीसीसी और क्योटो प्रोटोकॉल के सिद्धांतों और प्रावधानों के अनुसरण में, विशेष रूप से साझे किंतु विभेदीकृत जिम्मेदारियों के सिद्धांत के अनुसरण में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निबटने के महत्व पर बल देते हैं।

दोनों पक्ष बहुपक्षीय शस्त्र नियंत्रण, निरस्त्रीकरण और अप्रसार की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं। बाह्य अंतरिक्ष मानव जाति की साझी विरासत है। अंतरिक्ष अभियानों से जुड़े राष्ट्रों की यह जिम्मेदारी है कि वे बाह्य अंतरिक्ष के शांति पूर्ण प्रयोगों का वचन दें। दोनों पक्ष बाह्य अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण और बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ के प्रति अपने स्पष्ट विरोध को अभिव्यक्त करते हैं।

दोनों पक्ष हर रूप और अभिव्यक्ति के, और विश्व के हर क्षेत्र में आतंकवाद की महामारी की कटु शब्दों में निंदा करते हैं।

दोनों पक्ष दीर्घकालीन, स्थाई और व्यापक ढंग से आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक रूपरेखा को सुदृढ़ करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करने का वादा करते हैं।

दोनों पक्षों का विश्वास है कि सभ्यताओं और लोगों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक सहिष्णुता और वार्तालाप हमारे विश्व की समग्र शांति एवं स्थिरता में योगदान करेंगे। दोनों पक्ष अंतर सभ्यतागत और अंतर धार्मिक वार्ता को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं। दोनों पक्षों का मानना है कि इस शताब्दी में उनका द्विपक्षीय संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा।

इसलिए दोनों पक्ष सकारात्मक रूप से अपनी सामरिक और सहयोगात्मक साझेदारी निर्मित करना जारी रखेंगे। अपने क्षेत्र की प्रमुख

अर्थव्यवस्थाओं के रूप में दोनों पक्षों का विश्वास है कि उनके व्यापार और आर्थिक संबंधों में जोरदार वृद्धि परस्पर लाभकारी है, और वे दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था (आरटीए) पर संभाव्यता अध्ययन के समापन का स्वागत करते हैं। संभाव्यता अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार, भारत चीन क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था परस्पर लाभप्रद होगी।

एशिया में तेजी से बढ़ रहे क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की पृष्ठभूमि के विरूद्ध, दोनों पक्ष परस्पर लाभप्रद और उच्च स्तरीय क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था पर चर्चा शुरू करने की संभावना का पता लगाने के लिए सहमत हैं जो दोनों देशों की साझी आकांक्षाओं को पूरा करे तथा क्षेत्र को भी लाभान्वित करे।

दोनों पक्ष रक्षा के क्षेत्र में निरंतर बढ़ रहे संपर्कों के माध्यम से विश्वासोत्पादक उपायों को निरंतर बढ़ावा देंगे। इसलिए दोनों पक्ष भारत - चीन रक्षा वार्ता शुरू होने का स्वागत करते हैं तथा दिसंबर 2007 में अपने सशस्त्र बलों के बीच पहले संयुक्त आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण के सफल समापन पर अपना संतोष व्यक्त करते हैं।

दोनों पक्ष 2002 से सहयोग शुरू करते हुए सीमा पारीय नदियों पर उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अपने प्रयासों का भी स्वागत करते हैं। भारतीय पक्ष बाढ़ के समय जल विज्ञानी डाटा उपलब्ध कराने के संबंध में चीन द्वारा प्रदान की गई सहायता की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है जिसने इन नदियों से घिरे क्षेत्रों में अपनी आबादी की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने में भारत की मदद की है। दोनों पक्ष इस बात सहमत हैं कि इसने परस्पर सूझ-बूझ और भरोसा उत्पन्न करने में सार्थक योगदान दिया है।

दोनों पक्ष शांति पूर्ण वार्ता के माध्यम से सीमा से जुड़े प्रश्न सहित बकाया मतभेदों का समाधान ढूंढने के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध हैं, साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे

कि इन मतभेदों से द्विपक्षीय संबंधों के सकारात्मक विकास में रूकावट न आए। दोनों पक्ष सीमा विवाद का निष्पक्ष, तर्कसंगत और परस्पर स्वीकार्य समाधान ढूंढने के लिए तथा अप्रैल 2005 में निष्पन्न भारत - चीन सीमा विवाद समाधान के लिए राजनीतिक पैरामीटर और मार्गदर्शक सिद्धांत संबंधी करार के आधार पर शांति और मैत्री की सीमा खींचने के लिए अपने दृढ़ निश्चय को दोहराते हैं। विशेष प्रतिनिधि इस करार के आधार पर समाधान की सहमत रूपरेखा पर पहुंचने के कार्य को जल्दी से पूरा करेंगे।

भारतीय पक्ष स्मरण करता है कि भारत ऐसे पहले देशों में से एक है जो स्वीकार करते हैं कि चीन एक है और यह कि एक चीन नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भारतीय पक्ष कहता है कि यह चीन की एक चीन नीति का पालन करता रहेगा, और ऐसी किसी गतिविधि का विरोध करेगा जो एक चीन सिद्धांत के खिलाफ होगी। चीनी पक्ष भारतीय दृष्टिकोण के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करता है।

दोनों पक्ष अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति दोनों देशों की ज़िम्मेदारियों और दायित्वों को स्वीकार करते हैं। दोनों पक्ष दोनों देशों की बेहतरी के लिए तथा

मानव जाति के उज्ज्वल भविष्य के लिए भारत और चीन की जनता के बीच पारस्परिक सूझ-बूझ और मैत्री बढ़ाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं।

(डा. मनमोहन सिंह)
भारत गणतंत्र के प्रधानमंत्री

(वेन जिआबाओ)
चीन जनवादी गणतंत्र
की राज्य परिषद के प्रधानमंत्री

बीजिंग
14 जनवरी 2008